आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग
इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषि महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर–492 012

क्रमांक. / पा.प्र. / अरहर / 2017–18 / 4371 रायपुर, दिनांकः 11 / 09 / 2017

आदेश

मेरिट लिस्ट के आधार पर, चयन समिति की अनुशंसा एवं संचालक अनुसंधान सेवाएं के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थी का टेक्नीकल (टी–1) के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रू. 10,612 / – प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन / पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(01)	(02)	(03)	(04)
01	शंकर हजारी पुत्र श्री समीर हजारी, बनारस रोड, भगवानपुर, निकट राधा कृष्ण मंदिर, अम्बिकापुर – 497 001	सामान्य	अखिल भारतीय अरहर अनुसंधान परियोजना, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर–492 012

संविदा नियुक्ति की शर्ते :–

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मय प्रमाण–पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण–पत्र / दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी ।
3. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है । सूचना न देने की स्थिति में
4. एक माह का वेतन–भत्ता भुगतान / जमा करना होगा ।
5. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
6. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र भराया जावेगा । संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरूध्द् प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
7. संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा । चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरूध्द् कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा ।
8. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी ।